147

संख्याः 439 / XVIII(2) / 2012

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 24 फरवरी, 2012

विषयः–आयुष बायोटेक प्रा0लि0, कानपुर द्वारा ग्राम किशनपुर जमालपुर, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु 1.2250 है0 भूमि कय किए जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मै0 आयुष बायोटेक प्रा0 लि0, कानपुर के प्रार्थना पत्र दि0–28.1.2011 एवं आपके पत्र सं0–1258/भूमि व्यवस्था/2010 दि0–2.9.2011 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0–125 भूकय/18(1)/2005 दि0–18.1.2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, आयुष बायोटेक प्रा0लि0, कानपुर द्वारा ग्राम किशनपुर जमालपुर, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु 1.2250 है0 भूमि विकय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003, दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खाता/खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– इस भूमि के विकय हेतु विकेता कम्पनी को अनुमति इस आधार पर दी जा रही है कि इकाई को अनुत्पादक घोषित कर दिया गया है एवं नए केता द्वारा इससे संबंधित सभी दायित्वों/अधिभारों का निर्वहन किया जाएगा, साथ ही यह विकय उक्त अधिनियम की धारा 154(4)(3)(ख) के अंतिम परन्तुक के अधीन होगा।

2– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

3– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

.............2

4— क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा—167 के परिणाम लागू होगा।

5— जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

6— जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

7— शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

8— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू—उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

9— किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

10— उक्त भूमि के विक्रय के पूर्व कम्पनी के प्रमोटर की वास्तव में पक्षाघात से पीड़ित होने की पुष्टि करा लिया जाएगा।

11— यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि समस्त वर्जनाओं/भार से विमुक्त है तथा संबंधित भूमि के क्रय विक्रय से किसी भूमि संबंधित कानून/विनियमो का उल्लंघन नहीं होता है।

12— भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13— स्थापित किए जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

14— योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक एवं अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

15— उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

..............3

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0–439/समदिनांकित 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– श्री सुरेश बाधवा, निदेशक, आयाट्रो फार्मा एण्ड बायोटेक लि0, पंजीकृत कार्यालय सोनिग्रा चैम्बर, मार्केटयार्ड रोड, गुलटेकड़ी, पूणे, महाराष्ट्र।
6– श्री गणेश बाबू गुप्ता, प्रबंध निदेशक, आयुष बायोटेक लि0, प्लॉट नं0–765 एन0एच0 73, किशनपुर, जमालपुर, रूड़की, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।
7– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।